"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2009—कार्तिक 1, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1252/902/2009/1-8/स्था.— श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20-10-2009 से 24-10-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 17 से 19-10-2009 एवं 25-10-2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री विजय कुमार सिंह की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री क्षेत्र सिंह, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/4/2007/1/2.— श्री आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से., कलेक्टर, जिला-बीजापुर, छ. ग. को दिनांक 12-10-2009 से 30-10-2009 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 अक्टूबर, 2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्ना, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला-बीजापुर, छ. ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री आर. प्रसन्ना को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. प्रसन्ना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री प्रसन्ना के उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, द. ब. बस्तर, दन्तेवाड़ा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, जिला-बीजापुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1254/846/2009/1-8/स्था.— श्री के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-10-2009 से 31-10-2009 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 25-10-2009 तथा 1 एवं 2-11-2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री के. आर. मिश्रा के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के. के. बाजपेयी, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. मिश्रा को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. आर. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1256/852/2009/1-8/स्था.— श्री प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव, तत्का. कृषि विभाग को दिनांक 22-7-2009 से 24-7-2009 तक 03 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार दवे को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः (25-7-09 से) पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार दवे अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2009

क्रमांक 2651/885/2009/1-8/स्था.— इस विभाग के आदेश क्रमांक 521-22/516/2009/1-8/स्था., दिनांक 23-5-2009 द्वारा श्री एम. डी. दीवान, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तत्का. नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 25-5-2009 से 12-6-2009 तक 19 दिवसीय स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुये दिनांक 25-5-2009 से 12-8-2009 तक 80 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डी. दीवान को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः (13-8-09 से) पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. डी. दीवान अवकाश पर नहीं जाते तो, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

क्रमांक/एफ 1/04/दो गृह/भापुसे/2008.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. एस. गौतम, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को निम्नानुसार सपरिवार खण्ड वर्ष 2006-09 में भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 20-10-2009 से 03-11-2009 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए रायपुर से तिरूपति, चेन्नई, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुवंतपुरम, एन्नाकुलम, कोयम्बटूर, उटी, मैसूर, बैंगलोर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल. टी. सी.) की अनुमति प्रदान करता है :—

01. श्रीमती सीमा गौतम (पत्नी) 02. प्रणय गौतम (पुत्र)
03. कु. आस्था गौतम (पुत्री)

2. श्री पी. एस. गौतम, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 31011/4/2008-Esst. (A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार 10 दिवस (दस दिवस) का अर्जित अवकाश समर्पित करने की अनुमति दी जाती है.

3. श्री पी. एस. गौतम, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

4. श्री पी. एस. गौतम, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

5. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. गौतम, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. गौतम, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 5-07/2004/42.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-03-2005 द्वारा डॉ. बी. के. स्थापक, सेवानिवृत्त प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर (छ. ग.) को नवगठित स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के कुलपति पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया गया. तत्पश्चात् छ. ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) (क्रमांक 15 सन् 2006) अधिनियम, 2006 द्वारा छ. ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 15 में दो वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष प्रतिस्थापित किए जाने के फलस्वरूप समसंख्यक आदेश दिनांक 21-02-2007 द्वारा डॉ. स्थापक की पदावधि 03 वर्ष बढ़ाई गई.

2. छ. ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा उक्त अधिनियम, 2004 की धारा 15 में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् "परन्तु यह और कि, इस धारा के अधीन ऐसा नियुक्त कुलपति 70 (सत्तर) वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा." परन्तुक जोड़ा गया है.

3. डॉ. स्थापक की जन्मतिथि 4 जनवरी, 1938 है, अर्थात् वर्तमान में उनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर हो चुकी है. अत: उक्त संशोधन अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधानांतर्गत राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-02-2007 को अधिक्रमित करते हुए डॉ. बी. के. स्थापक को छ. ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 5-07/2004/42.—राज्य शासन द्वारा, श्री नारायण सिंह, सचिव, छ. ग. शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ छ. ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के रिक्त कुलपति पद का प्रभार अतिरिक्त रूप से, तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

कृषि (पशुपालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 1-8/08/35/स्था.—राज्य शासन, एतद्द्वारा संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें से अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक अर्हता सेवा अवधि 03 वर्ष में 01 वर्ष (व्यावहारिक रूप से 4 माह) की छूट एक बार के लिये देने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है. भविष्य के लिए यह छूट पूर्वोदाहरण नहीं होगी.

उक्त स्वीकृति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की टीप यू. ओ. क्रमांक-442, दिनांक 22-09-2009 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-91/32/स्था./2009.—छत्तीसगढ़ स्थान (अर्जन) अधिनियम, 1948 (LXIII of 1948) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ के समस्त जिला कलेक्टर्स को उनके क्षेत्राधिकार में राज्य शासन की शक्तियां उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. यह आदेश तत्काल प्रभाव में लागू होगा.

No. F- 1-91/32/2009.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of the Chhattisgarh Accommodation (Requisition) Act, 1948 (LXIII of 1948) the State Government hereby authorise all the District Collectors of the State to exercise the powers of the State Government in their respective jurisdiction. This order shall come into force with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 25-6/2008/नौ/55.—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्र. 37 सन् 1954) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विहित अर्हताएं रखने वाले निम्नलिखित कर्मचारियों को, जो नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षक के रूप में संविदा पर कार्यरत हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करती है, जो दिनांक 07-07-2008 से

प्रभावी होगा :—

स. क्र. (1)	व्यक्तियों का नाम (2)	पद (3)
1.	श्री एच. सी. पांजी	खाद्य निरीक्षक (संविदा)
2.	श्री आर. एस. चौरसिया	खाद्य निरीक्षक (संविदा)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 25-6/2008/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 1st October 2009

No. F 25-6/2008/IX/55.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 9 of the prevention of Food Adulteration Act, 1954 (No. 37 of 1954), the State Government, hereby, appoints, the following employees, having prescribed qualification, who working on contractual basis under Controller, Food and Drug Administration, as Food Inspectors, to exercise the powers and to perform the duties of the Food Inspectors under the said act with effect from 07-07-2008 for the whole State of Chhattisgarh :—

S. No. (1)	Name of Person (2)	Designation (3)
1.	Shri H. C. Panji	Food Inspector (Contract)
2.	Shri R. S. Chaurasiya	Food Inspector (Contract)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2009

क्रमांक 20 क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	तेन्दूभाठा प. ह. नं. 49	4.945	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	2×500 मे.वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ पाईप लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	फरसाबहार	कोनपारा प. ह. नं. 32	4.131	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	कोकिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र.- 145 से 177 तक के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	फरसाबहार	दलटोली प. ह. नं. 32	2.145	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	कोकिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 177 से 215 तक के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	फरसाबहार	सरईटोली प. ह. नं. 26	1.937	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	कोकिया व्यपवर्तन योजना के सरईटोली शाखा नहर चैन क्र. 0 से 60 तक एवं चैन क्र. 54 से 100 तक के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	फरसाबहार	जमुना प. ह. नं. 35	4.168	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	उतियाल व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 69 से 141 तक के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	फरसाबहार	खुटगांव प. ह. नं. 26	5.413	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	हल्दीमुंडा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 638.50 एवं 689 से 713 तक के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	फरसाबहार	धौरासॉड प. ह. नं. 26	4.544	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	हल्दीमुंडा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 497 से 658 तक के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक/1495/अ.भू-अ.प्र./07/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	खुरसुल प. ह. नं. 03	0.48	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	बोरई व्यपवर्तन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक/1495/अ.भू-अ.प्र./08/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	खुरसीडीह प. ह. नं. 03	2.24	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भरदा जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./22/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	सालही	25.442	मे. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. जयपुर.	परसा ईस्ट एवं कांते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./23/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	हरिहरपुर	35.550	मे. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. जयपुर.	परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./24/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	परसा	113.683	मे. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. जयपुर.	परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./25/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	केते	194.476	मे. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. जयपुर.	परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./26/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	घाटबर्रा	333.764	मे. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. जयपुर.	परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला उत्खनन परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 9 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./05/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रेम नगर
- (ग) नगर/ग्राम-शिवनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-54.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
61	0.13
102	1.38
125	0.20
62/1	0.40
62/2	0.90
62/3	1.10
62/4	0.20
63	0.18
128	0.25
147	0.42
71	0.66
72	0.45
91	0.23
73	0.49
90	0.23
135	1.99
160	0.24
169	0.18
181	0.78
74	0.47
89	0.31
75	1.05
87	0.74
100	0.21
77	1.71
129	0.25
78	0.76
80	0.65
82	0.45
93	0.11
97	0.48
130	0.03
83/1	0.26
84	0.69
108/1	0.37
115/1	1.30
148/1	0.74
85	0.34
113	0.70
86	0.42
103	0.28
126	0.23
127	0.03
137	0.82
145	0.31
88	0.10
101	0.41
162	0.43
170/2	0.60
170/1	0.26
167	0.09
92	0.66
95	0.38
96	0.28
98	0.45
94	0.22
114	0.34
120	0.25
104	0.68
156	0.33
157	0.41
105	0.67
123	0.28
124	0.37
144	0.21

(1)	(2)
106	1.03
107	0.36
121	0.59
143	0.42
108/2	0.38
115/2	1.30
118	0.39
148/2	0.74
109	4.12
119	0.81
122	0.89
139/3	0.10
139/1	0.40
83/2	0.26
131	0.19
140	0.25
141	0.26
136	0.24
151	0.55
161	0.45
164	1.09
139/2	0.10
142	0.26
146	0.62
159	0.21
152	0.40
153	0.20
158	0.18
165/2	0.18
166	0.08
196	1.27
172/2	0.06
171	0.44
172/1	0.14
176	0.06
177	0.18
173	0.26
174	0.02
175	0.76
183	0.51
149	0.41
154	1.14
138	0.21
163	0.16
168	0.33
योग	54.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तारा कोल परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला सरगुजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

क्रमांक 11 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-सरखों, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-62.74 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1297	0.32
1298/12	0.11
1298/2	0.11
1299	0.13
1298/8	0.09

(1)	(2)
1291/11	0.10
1298/1	1.80
1428/1	0.66
1428/2	0.32
1298/9	0.28
1291/22	0.25
1291/12	0.47
1291/13	0.19
1291/36	0.17
1291/37	0.25
1291/39	0.28
1291/19	0.10
1290/9	0.45
1291/5	0.64
1290/2	1.70
1291/26	0.11
1298/4	0.10
1363/1	0.08
1363/2	0.27
1364	0.30
1366/2	0.48
1425/2	0.43
1289	0.03
1365/1	0.29
1365/2	0.22
1366/3	0.14
1366/5	0.14
1397/4	0.42
1397/5	0.55
1399/1	0.20
1395	0.06
1393/1	0.20
1422/3	0.38
1393/2	0.40
1392/2	0.03
1392/3	0.04
1424/1	0.24
1424/2	0.13
1422/5	0.20
1422/6	0.20
1422/7	0.20
1422/8	0.20
1426	0.46
1425/1	0.38
1436	0.59
1427/2	0.35
1429	0.29
1430	0.15
1437	0.37
1442	0.35
1474/13	0.14
1383/1	0.17
1474/1	4.07
1474/4	0.70
1474/14	0.35
1474/10	0.30
1474/18	0.30
1474/9	1.00
1472/2	0.35
1465/1	0.50
1465/2	0.20
1466/1	0.03
1471/3	0.40
1473	0.58
1474/5	0.16
1470	0.13
1460	0.65
1459/2	0.10
1463	0.30
1471/1	0.25
1461	0.06
1474/17	0.03
1468/2	0.14
1576/13	1.00
1464/1	0.29
1468/1	0.21
1457	0.32
1577/1	0.20
1580/5	0.35
1576/11	0.75
1585/1	0.35
1580/1	1.24
1580/3	0.05
1580/2	0.15
1663/4	0.10
1663/2	0.22
1663/3	0.02
1663/5	0.22
1667/3	0.67
1667/4	0.50
1663/7	0.55
1459/1	0.08
1663/1	0.73

(1)	(2)
1664/2	0.15
1664/5	0.05
1664/4	0.21
1664/3	0.21
1667/2	0.43
1667/8	0.30
1667/9	0.30
1667/1	0.27
1667/10	0.30
1667/11	0.30
1679/2	0.07
1771/5	0.73
1678	0.58
1679/16	0.20
1679/11	0.30
1679/6	0.15
1679/14	0.36
1715/1	0.47
1679/13	0.23
1715/2	0.40
1681/1	0.48
1681/2	0.11
1681/3	0.05
1681/4	0.05
1682	0.80
1694/2, 1695/1	0.48
1694/7	0.57
1697	0.15
1694/6	0.30
1694/10	0.04
1692/2	0.26
1692/1	1.00
1849/4	0.67
1849/3	0.27
1702/4	0.38
1849/7	0.44
1701	0.23
1849/2	0.22
1702/1	0.50
1831/1	0.15
1829/1	0.14
1830/1	0.05
1829/2	1.05
1702/2	0.60
1828/6	0.05
1828/2	0.13
1827/3	0.35
1827/4	0.30
1827/5	0.35
1827/2	0.15
1793/1	0.41
1790/3	0.26
1788/1	0.03
1790/2	0.30
1788/2	0.17
1787/3	0.10
1771/17	1.00
1771/18	0.19
1771/15	0.80
1771/1	0.57
1679/3	0.56
1771/9	0.34
1776/2	0.11
1771/3	0.05
1772/2	0.25
1776/4	0.10
1776/5	0.15
1771/7	0.34
1771/10	0.31
1773/1	0.15
1773/3	0.14
1772/7	0.38
1772/1	0.13
1772/8	0.23
1772/9	0.23
1753/2	0.43
1753/1	0.11
1752	0.81
1754/1	0.18
1755/3	0.95
1756	0.02
1751/2	0.05
1291/25	0.25
योग 181	62.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 26 सितम्बर 2009

क्रमांक/3982/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तिलोखन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	45	0.07
	44	0.01
	94	0.02
	95	0.03
	96	0.01
	179	0.04
	183	0.02
	184	0.02
	230	0.02
योग	9	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विही नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 26 सितम्बर 2009

क्रमांक/3983/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पेन्ड्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.72 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	909/3	0.22
	980	0.16
	916/1	0.08
	933	0.05
	909/4	0.09
	916/2	0.09
	919	0.05
	920	0.02
	890	0.14
	979	0.06
	978	0.14
	970	0.20
	966/1	0.05
	969	0.03
	967	0.04
	966/2	0.08
	934	0.22
योग	17	1.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुटरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 26 सितम्बर 2009

क्रमांक/3984/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल--1.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	233	0.09
	235	0.12
	230	0.01
	229	0.15
	32/1	0.11
	32/2	0.19
	32/3	0.14
	32/4	0.04
	35	0.11
	36/2	0.12
	175	0.02
	164	0.03
योग	12	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुटरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 26 सितम्बर 2009

क्रमांक/3985/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घुटरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
959	0.13
1091	0.07
1084	0.02
1070	0.07
1073	0.04
1074	0.06
1060	0.13
1062	0.07
1054	0.06
1033	0.08
1021	0.09
1295	0.08
1293	0.02
1610	0.03
1614	0.09
1591	0.12
1583	0.01
1585	0.09
1576	0.12
1579/1	0.07
1477/1	0.01
1747/1	0.05
1579/2	0.07
1550/1	0.02
1540/1	0.01
1550/2	0.02
1540/2	0.01
1577	0.15

(1)	(2)
1362	0.01
1551	0.11
1364	0.06
1554	0.04
1506	0.06
1555	0.09
1556/1	0.06
1556/2	0.04
1560/1	0.04
1352/1	0.02
1560/2	0.04
1352/2	0.02
1349	0.04
1541	0.01
1507	0.04
1429	0.02
1470	0.02
1345	0.09
1347	0.07
1348	0.03
1354	0.01
1353	0.05
1361/2	0.01
1365	0.02
1539	0.05
1536	0.03
1474/1	0.04
1533	0.01
1475	0.01
1453	0.07
1736/1	0.02
1736/2	0.01
1469	0.10
1745	0.13
1744	0.02
1746	0.07
1484	0.02
योग 65	3.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुटरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-हर्राडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.740 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
40	0.069
42	0.162
54/1	0.101
47/3	0.121
49	0.121
55	0.040
251	0.202
271/3	0.016
417/1	0.045
417/2	0.061
501	0.227
494	0.008
485	0.073
500	0.129
63	0.065
76	0.028
83/1	0.012
107/1	0.045
360/1	0.040
383	0.077

(1)	(2)
41/1	0.194
44	0.105
45/4	0.081
47/4	0.223
50	0.081
56	0.263
495	0.219
271/4	0.073
80/1	0.012
80/3	0.016
479	0.227
478/4	0.162
489/6	0.138
52	0.057
61/2	0.089
80/2	0.024
83/2	0.049
107/4	0.036
278/3	0.020
107/3	0.040
45/2	0.069
54/2	0.150
47/5	0.073
60	0.271
250/4	0.154
261	0.154
81	0.016
80/4	0.008
418/1	0.190
418/2	0.089
448	0.089
496	0.223
61/1	0.109
75	0.049
82/4	0.012
104	0.150
103/2	0.045
282	0.138
योग 58	5.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खेदाटोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 40 से 174 तक एवं शाखा नहर चैन क्र. 0 से 40 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-हर्राडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.675 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
455/2	0.077
470	0.053
502/2	0.061
522	0.008
532	0.057
649	0.092
654/2	0.081
501	0.012
502/1/2	0.008
455/6	0.016
472	0.045
515	0.097
523	0.162
653	0.057
648	0.202
655/1	0.057
471	0.113
455/8	0.113
478/1	0.170
520	0.049
531/1	0.040
533	0.028
652	0.057
656/3	0.012

	(1)	(2)
	502/1/1	0.008
योग	25	1.675

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खेदाटोली व्यपवर्तन योजना के नवाटोली शाखा नहर चैन क्र. 0 से 50 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-छुरीटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.860 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	12	0.073
	16	0.559
	73, 76	0.133
	109	0.016
	85/2	0.121
	110	0.028
	113, 115	0.101
	13/1	0.089
	104	0.040
	91	0.012
	80	0.101
	85/5	0.089
	90	0.061
	106, 107	0.129
	78, 79	0.032
	111	0.057
	77/1	0.045
	85/1	0.117
	85/9	0.057
योग	19	1.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खेदाटोली व्यपवर्तन योजना के छुरीटोली मुख्य नहर चैन क्र. 0 से 50 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-फरसाबहार
- (ग) नगर/ग्राम-औरीजोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.653 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
116/13	0.081
496/1	0.020
489	0.065
135/1	0.514
130/2	0.202

(1)	(2)
184/4	0.152
226/1	0.425
190	0.057
241	0.235
285/6	0.016
289	0.057
482/5	0.195
291/8	0.161
492/1A	0.024
491/2, 492/1B	0.303
486, 492/3	0.639
116/2, 117, 118/2	0.409
493	0.202
184/12	0.140
490	0.073
174	0.415
172/1	0.113
184/3	0.113
188	0.363
243	0.161
285/5	0.101
284	0.226
293/1	0.363
291/6	0.226
286	0.530
291/9	0.177
285/2, 291/2	0.363
482/4, 488/3	0.331
494	0.049
124	0.393
134	0.101
178	0.206
185	0.165
186	0.227
184/9	0.065
242	0.801
290	1.051
287	0.081
291/14	0.020
291/13	0.307
291/7	0.343
116/12	0.470
112, 118/1B	0.234
116/5, 117, 118/2	0.688
योग 49	12.653

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 497 से 604 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-फरसाबहार
- (ग) नगर/ग्राम-तुबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.249 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
20/5	0.580
20/22	0.251
20/26	0.210
26/83	0.170
25/47	0.387
25/71	0.065
51	2.114
59	0.785
82	0.162
77/6	0.178

(1)	(2)
81/1	0.040
20/6	0.526
85/3	0.012
215/1	0.178
217/12	0.186
74/315	0.020
228	0.073
232	0.170
231/2	0.020
83	0.154
20/23	0.413
20/42	0.178
20/81	0.170
25/54	0.101
25/84	0.494
53	0.186
77/4	0.356
84	0.057
77/14	0.202
81/2	0.024
52	0.105
85/5	0.194
215/2	0.073
217/308	0.167
220/331	0.291
229	0.243
233	0.113
227	0.138
20/52	0.251
20/31	0.587
20/50	0.202
25/23	0.466
20/4	0.186
25/85	0.291
54	0.283
77/12	0.186
85/2	9.040
79/2	0.393
85/4	0.016
85/1	0.121
20/84	0.478
219	0.138
217/310	0.372
226	0.218
231/1	0.162
230/4	0.073
योग 56	14.249

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 678 से 689 एवं 713 से 900.50 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-रजौटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.074 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
234	0.045
240	0.061
243	0.121
209/1	0.024
188/1	0.024
184/4	0.101
237	0.113
233	0.065
245	0.165
208	0.020

	(1)	(2)
	252	0.032
	184/2	0.016
	236	0.109
	238	0.024
	248	0.020
	249	0.024
	203	0.061
	184/1	0.049
योग	18	1.074

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवर डोड़की व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर चैन क्र. 0 से 41 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-कुनकुरी
(ग) नगर/ग्राम-बेलसूंगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	48/1	0.016
	116/1	0.178
	122	0.049
	130	0.210
	48/2	0.040
	116/2	0.190
	123/2	0.057
	157/1	0.049
	49	0.150
	121/2	0.061
	128	0.182
	110/2	0.032
योग	12	1.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलसूंगा जलाशय योजना के बेलसूंगा शाखा नहर चैन क्र. 0 से 35 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

क्रमांक/क/खलि/तीन-1/09/3441.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु राजपत्र में इस अधिसूचना

के प्रकाशन दिनांक से 30 (तीस) दिन पश्चात् आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	धनसूली	32	तिल्दा	402	0.196 हेक्टर	श्री पूर्णन्द्र नायक को स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 23-9-2009 से अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.
2	बुड़ेरा	39	तिल्दा	419/6	3.00 एकड़	श्री पंचराम को स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 29-3-2009 से अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.

डोमन सिंह,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

क्रमांक 10577/अधीक्षक/2009.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर के मध्य पूर्व में आदेश क्रमांक 9983/अधीक्षक/2009, कोरबा दिनांक 16-9-2009 किया गया कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा को सत्कार अधिकारी (प्रोटोकाल आफिसर) के प्रभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाकर श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा को सत्कार अधिकारी (प्रोटोकाल आफिसर) नियुक्त किया जाता है. शेष कार्यावंटन आदेश यथावत् रहेगा.

ए. के. अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत शाखा), रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

क्रमांक/26.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-95-22 पं.-2, दिनांक 23 फरवरी, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला रायपुर के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में दर्शाये गये गांव/गांवों के समूह के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तम्भ (4) में दर्शायी गयी है, सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है तथा सार्वजनिक जानकारी

के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

सारणी

खण्ड का नाम (1)	"ग्राम" का नाम (2)	"ग्राम" के अंतर्गत आने वाले गांव/गांवों का नाम (3)	जनसंख्या (4)	पटवारी हल्का क्रमांक (5)
कसडोल	खपराडीह	खपराडीह	587	19

No. 27.—In exercise of the powers conferred vide the Government of Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department Notification No. 1-11-95-XXII-P-2 Dated 23rd February, 1999 under the provisions of section 3 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the Collector of Raipur Revenue district hereby specify the village or the purpose of the said Act, named as shown in column (2) of the table given below (hereinafter referred as Table) for village of group of villages shown in column (3) of the table and where population is shown in column (4) of the table and hereby publishes for the public information.

TABLE

Name of Block (1)	Name of Village (2)	Village or group of villages included in village (3)	Population (4)	Patwari circle Number (5)
Kasdol	Khapradih	Khapradih	587	19

संजय गर्ग,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर-492001

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

निर्वाचन प्रतीकों का निर्धारण

क्रमांक एफ-12/1526/रानिआ/न.पा./प्रतीक/09.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा नियम 31 के प्रयोजन हेतु नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए निम्नांकित निर्वाचन प्रतीक विहित करता है, अर्थात् :—

(1)	नगरपालिक निगम के महापौर या नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष या नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए.	संलग्न अनुसूची के भाग-एक में उल्लिखित प्रतीक
(2)	नगरपालिक निगम या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के पार्षद के लिए.	संलग्न अनुसूची के भाग-दो में उल्लिखित प्रतीक

2. आयोग द्वारा विहित उपरोक्त निर्वाचन प्रतीक, उन प्रतीकों के अतिरिक्त होंगे जो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित है.

3. इस विषय के संबंध में पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक एफ-12/527/न. पा./प्रतीक/04/दिनांक 28 अप्रैल 2004 एवं एफ 12/नपा./प्रतीक/04/ दिनांक 31 जुलाई 04 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

अनुसूची

भाग-एक महापौर/अध्यक्ष के लिये विहित निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	नल	18.	कुर्सी
2.	चाबी	19.	मटका
3.	टेबल पंखा	20.	गाड़ी
4.	कलम दवात	21.	फावड़ा और बेलचा
5.	किताब	22.	सूरजमुखी का फूल
6.	स्लेट	23.	गेहूं की बाली
7.	बिजली का स्विच	24.	सब्जियों की टोकनी
8.	कांच का गिलास	25.	हार
9.	रेडियो	26.	अंगूठी
10.	खम्भे पर ट्यूब लाइट	27.	बैंच
11.	स्टूल	28.	गैस सिलेन्डर
12.	गैस बत्ती	29.	पीपल का पत्ता
13.	रोड रोलर	30.	हारमोनियम
14.	बस	31.	हस्तचलित पम्प
15.	सीटी	32.	हाथ चक्की
16.	प्रेशर कुकर	33.	लट्टू
17.	टेबल लैम्प	34.	मेज

भाग-दो पार्षद के लिये विहित निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	दो पत्तियां	15.	रेल का इंजन
2.	उगता सूरज	16.	ब्लैक बोर्ड
3.	सीढ़ी	17.	टेलीफोन
4.	पतंग	18.	टेलीविजन
5.	तराजू	19.	वायुयान
6.	छाता	20.	बरगद का पेड़
7.	बिजली का बल्ब	21.	लेटर बाक्स (पत्र पेटी)
8.	छत का पंखा	22.	अलमारी
9.	ताला और चाबी	23.	हाकी और गेंद
10.	सिलाई मशीन	24.	दो तलवार एक ढाल
11.	झोपड़ी	25.	चश्मा
12.	नाव	26.	फलों सहित नारियल का पेड़
13.	स्कूटर		
14.	जीप		

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.